

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक:—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 5571

दिनांक: 02.12.2022

बैठक का कार्यवाही विवरण

जन आधार में भूधारक श्रेणी— लघु एवं सीमान्त किसानों के निर्धारण हेतु मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट—1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये—

क्र. सं.	बैठक में किये गये निर्णय	संबंधित अधिकारी/विभाग
1.	ई-धरती पोर्टल व जन आधार पोर्टल का शीघ्र एकीकरण किया जावे।	प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., राजस्व विभाग, जयपुर तथा आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
2.	भू-धारक के आधार संख्या व व्यक्तिगत जन आधार पहचान संख्या की उसके कृषि भूमि के रिकॉर्ड से सीडिंग को सुनिश्चित करावे।	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
3.	जन आधार नामांकित परिवारों में से छुटे हुए ऐसे परिवारों जिनका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे परिवारों का पंजीकरण करवाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर चिरंजीवी कैम्पों का आयोजन किया जावे।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेन्स ऐजेन्सी, जयपुर
4.	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व जन आधार के प्रतिदिन अपडेट डेटा का Access जिला मुख्यालय पर कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एस.ए. (संयुक्त निदेशक) / ए.सी.पी. (उपनिदेशक) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप/सहायक निदेशक को संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट—‘अ’ अनुसार उपलब्ध कराया जावे। यह अधिकारी जिलों में अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी भी है।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेन्स ऐजेन्सी, जयपुर एवं आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:— प्रपत्र परिशिष्ट—‘अ’।

*S/Chdly*  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020/5572-82 दिनांक: 02.12.2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेन्स ऐजेन्सी, जयपुर।
5. निजी सचिव, भू-प्रबन्ध आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
9. श्री जितेन्द्र वर्मा, एस.आई.ओ., एन.आई.सी., राजस्व विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

१९२०  
संयुक्त निदेशक

**मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को  
आयोजित बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची**

1.	श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
2.	श्रीमती शुचि त्यागी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ ऐश्योरेन्स ऐजेन्सी, जयपुर।
3.	श्री राजेन्द्र विजय, भू-प्रबन्ध आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
4.	श्री महावीर प्रसाद बुरडक, रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5.	श्री आशीष गुप्ता, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, स्कू. प्रौ. एवं संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
6.	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
7.	श्री जितेन्द्र वर्मा, एस.आई.ओ., एन.आई.सी., राजस्व विभाग, जयपुर।
8.	श्री आर. एल. सोलंकी, तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9.	श्री. सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10.	श्री सूर्यकांत गुप्ता, ए.सी.पी. (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर।

जन आधार नामांकित परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीयन की स्थिति

दिनांक तक : .....